Helpline **1064** **94135-02834**

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

- आरोपी दलाल अकरम हुसैन को केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो भवानीमंडी के इंस्पेक्टर हितेश कुमार के लिए 20 हजार रूपये भारतीय मुद्रा एंव डमी नोट रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार।

जयपुर, 09 नवम्बर रविवार। एसीबी मुख्यालय, जयपुर के निर्देश पर कोटा एसीबी स्पेशल यूनिट द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी दलाल **अकरम हुसैन को केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो इंस्पेक्टर भवानीमंडी हितेश कुमार** के लिए **20 हजार** रूपये भारतीय मुद्रा एवं डमी नोट रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कोटा स्पेशल यूनिट को परिवादी ने एक लिखित शिकायत इस आशय की पेश की, कि परिवादी के पिता को केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो भवानीमंडी के इंस्पेक्टर हितेश कुमार व एक व्यक्ति दिनांक 07.11.2028 को परिवादी के घर से उठाकर लेकर गये थे जिनके द्वारा परिवादी के पिता को झूठे मुकदमें में फसानें की धमकी देकर 3 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी।

जिस पर एसीबी रेंज कोटा के प्रभारी **उप महानिरीक्षक श्री आनन्द शर्मा** के सुपरविजन में एसीबी स्पेशल यूनिट के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मुकुल शर्मा** द्वारा शिकायत का सत्यापन करवाया गया। परिवादी से दलाल अकरम हुसैन द्वारा 3 लाख रूपये की मांग किया जाना सही पाया गया। बाद में सत्यापन ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया, ट्रेप कार्यवाही के दौराने आरोपी दलाल अकरम हुसैन को केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो भवानीमंडी के इंस्पेक्टर हितेश कुमार के लिए 20 हजार रूपये भारतीय मुद्रा एंव डमी नोट रिश्वत लेते रंगे हाथों डिटेन कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी हितेश कुमार मौके से अंधेरे का लाभ लेकर फरार हो गया जिसकी तलाश जारी है।

श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव अति. महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ व कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।